पूरी बेंच

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, डी. एस. तेवतिया और हरबंस लाल के समक्ष,

कश्मीरी लाल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

उप आयुक्त, सोनीपत, और अन्य,-प्रतिवादी।

1979 की सिविल रिट संख्या 94।

जनवरी, 14, 1980.

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम III 1976 द्वारा संशोधित - धारा 102(1) और (1-ए) - धारा 102(1) के तहत पंच को निलंबित करने का आदेश - सुनवाई का अवसर ऐसा आदेश पारित करने से पहले-क्या यह पंच को सौंपा जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा में संशोधित पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 की धारा 102 (1) के तहत निलंबन के आदेश के मामले में, निलंबन लगभग उस स्तर पर सजा के रूप में होगा जब किसी पंच को निलंबित करने की मांग की जाती है। उसे हटाने पर विचार नहीं किया जा रहा है - यह केवल किसी मामले का पंजीकरण या शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए आपराधिक आरोपों की जांच या मुकदमा है। किसी पंच या सरपंच को हटाने पर विचार तब किया जाता है, जब अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) के खंड (बी) और (सी) में परिकल्पित प्रकार के अपराध के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराने वाला वास्तविक आदेश पारित किया जाता है। किसी पंच या सरपंच के खिलाफ आपराधिक अदालत द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के मद्देनजर उसे हटाने के उद्देश्य से उसके खिलाफ जांच कार्यवाही शुरू की जाती है और फिर धारा की संशोधित उप-धारा (1-ए) अधिनियम की धारा 102 के तहत निलंबन का आदेश पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में, पंच या सरपंच को निलंबित करने का आदेश एक नियमित आदेश होगा - सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा पहले ही अपराध स्थापित पाया जा चुका है। ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां किसी पंच या सरपंच को उसके खिलाफ मामला दर्ज होने की दहलीज पर निलंबित करने की मांग की जाए। वहां, आदेश नियमित नहीं होगा, क्योंकि उस मामले में सबसे पहले, संबंधित अधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि क्या शिकायत में बताए गए तथ्य उस अपराध का गठन करते हैं जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और दूसरा, क्या अपराध है वह है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है या संबंधित

पंच या सरपंच के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है या उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या आपराधिक कार्यवाही से उसे पंच या सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना होगी। इस तरह के मामले में, उसे अपना दिमाग लगाना होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई न कोई वस्तुनिष्ठ कारण बताना होगा कि पंच या सरपंच के खिलाफ निलंबन का आदेश आवश्यक है। इस प्रकार, अधिनियम की संशोधित धारा 102(1) के तहत किसी पंच या सरपंच के खिलाफ निलंबन का आदेश पारित करने से पहले, उक्त पंच या सरपंच को सुनवाई या नोटिस का अवसर देना होगा।

(पैरा 6 और 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई कि वह निम्नलिखित राहतें प्रदान करें: -

(i) आदेश अनुलग्नक 'पी-4' से संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के रिकॉर्ड मांगने के लिए उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी और उसके अवलोकन के बाद विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाएगा;

(ii) कोई अन्य उपयुक्त रिट निर्देश आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए;

(iii) रिट याचिका का निर्णय होने तक आदेश परिशिष्ट 'पी-4' के संचालन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए और

(iv) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

आर.एस.मित्तल एडवोकेट, एन.के.खोसला एडवोकेट के साथ।

भूप सिंह अतिरिक्त ए.जी. (एच)।

के.एस. कुंडू, अधिवक्ता।

निर्णय

डी. एस. तेवतिया, जे., (मौखिक)

(1) क्या कोई पंच या सरपंच पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 102 (1) के तहत निलंबित करने के आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर पाने का हकदार है। हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 1979 की दो

रिट याचिकाओं संख्या 94 और 422 में विचार के लिए आता है - 1979 की सिविल रिट संख्या 422 को 1979 की सिविल रिट संख्या 94 और सिविल के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। 1979 की रिट संख्या 94 को मोशन बेंच द्वारा पूर्ण पीठ में स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने **सुरेश चंद और अन्य बनाम पंचायत निदेशक, हरियाणा और अन्य**[1] में रिपोर्ट की थी, जिसने माना था कि एक पंच या सरपंच को अधिनियम की धारा 102(1) के तहत निलंबित किए जाने से पहले उसे निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नोटिस का हकदार है, **गुरुचरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[2] में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर संदेह हुआ।

2. गुरचरण सिंह के मामले में पूर्ण पीठ हरियाणा अधिनियम संख्या 22, 1972 द्वारा सम्मिलित पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम (1961 का 25) की धारा 27(1-ए) की आवश्यकता पर विचार कर रही थी, जो मुख्य प्रावधान के साथ थी उक्त अधिनियम की धारा 27(1), नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है: -

> "27(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में कोई समिति या उसका कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक या लापरवाही करता है या कोई कार्य करता है जो सोसायटी या उसके सदस्यों के हितों के लिए प्रतिकूल है, , जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार समिति या सदस्यों को लिखित आदेश द्वारा अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, बताने का अवसर दे सकता है: -
>
> (ए) समिति के लिए नए सिरे से चुनाव का आदेश देना; या
>
> (ii) आदेश में निर्दिष्ट एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक या अधिक प्रशासकों को नियुक्त करें, जिन्हें सोसायटी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, रजिस्ट्रार के विवेक पर यह अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है, ताकि कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक न हो;
>
> (बी) इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उपनियमों के अनुसार सदस्य को हटा दें और निवर्तमान सदस्य की शेष अवधि के लिए रिक्ति को भरवाएं।
>
> (1-ए) जहां उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई करते समय रजिस्ट्रार की राय है कि कार्यवाही की अवधि के दौरान समिति या सदस्य का निलंबन सहकारी समिति के हित में आवश्यक है, तो वह

---

[1] 1979 पी.एल.जे. 116.
[2] 1978 पी.एल.जे. 403

जैसा भी मामला हो, समिति या सदस्य को निलंबित कर सकता है, और जहां समिति निलंबित है, कार्यवाही पूरी होने तक समाज के मामलों के प्रबंधन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि यदि निलंबित समिति या सदस्य को हटाया नहीं जाता है, तो उसे बहाल कर दिया जाएगा और निलंबन की अवधि उसके कार्यकाल में गिनी जाएगी।

3. उपरोक्त प्रावधानों को गुरचरण सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा अधिनियम की धारा 102(1) के पुराने प्रावधान के अनुरूप अभिनिर्धारित किया गया था और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न एकल और डिवीजनों में इन प्रावधानों की व्याख्या की गई थी। बेंच के फैसलों को मंजूरी दे दी गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 27(1-ए) के तहत निलंबन आदेश पारित किया गया था, वहां कानून में सुनवाई के किसी अवसर पर विचार नहीं किया गया था। इस संबंध में, गुरचरण सिंह के मामले में पूर्ण पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियाँ शिक्षाप्रद होंगी:

"सिद्धांत और तर्क के अलावा, इस न्यायालय के भीतर समान प्रावधानों पर अधिकार की अधिकता भी प्रतीत होती है। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 102(1) इसी तरह एक पंच को हटाने के लिए उसके खिलाफ शुरू की गई जांच के दौरान उसे निलंबित करने की शक्ति उपायुक्त को देती है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रावधान समान प्रकृति के हैं। उक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, **राजिंदर सिंह बनाम पंचायत निदेशक, पंजाब** [3]मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ को यह देखने का अवसर मिला कि उक्त धारा ने निलंबन का आदेश पारित करने से पहले कोई नोटिस देने की बात नहीं की और उसमें प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत को पढ़ने का विकल्प नहीं चुना। इसी तरह की टिप्पणियाँ न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर, द्वारा **रत्ती राम बनाम डिप्टी कमिश्नर, पटियाला**[4], और न्यायमूर्ति कोशल, (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने **गुरदयाल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[5] में की थीं। इसी तरह ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 102(1) का अर्थ लगाने का अवसर मिला और यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंच के खिलाफ निलंबन का आदेश पारित करने से पहले कोई नोटिस या अवसर क़ानून द्वारा आवश्यक नहीं था....."

[3] 1963 पी.एल.आर. 1085
[4] 1965 पी.एल.आर. 529.
[5] 1971 पी.एल.जे. 417

4. हमारे सामने प्रस्तावित प्रस्ताव यह है कि गुरचरण सिंह के मामले में पूर्ण पीठ ने अधिनियम की पुरानी धारा 102(1) की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय (एकल पीठ और डिवीजन बेंच) के पहले के फैसलों को मंजूरी दे दी थी, जिसमें यह माना गया था कि एक पंच या सरपंच उक्त उप-धारा के तहत निलंबित किए जाने पर निलंबन के आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था और चूंकि, वास्तव में, अधिनियम की पुरानी धारा 102(1) और संशोधित धारा 102(1) के बीच कोई अंतर नहीं है। अधिनियम की या उस मामले के लिए अधिनियम की धारा 102 की संशोधित उपधारा (1) और उपधारा (1-ए) के बीच, बाद वाली धारा अधिनियम की पुरानी धारा 102(1) के बराबर है। इसलिए सुरेश चंद और अन्य के मामले में डिवीजन बेंच का फैसला पूर्ण बेंच के फैसले के विपरीत है।

5. हमारी राय में, गुरुचरण सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने जो सुनाया है और सुरेश चंद और अन्य के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बीच कोई स्पष्ट या अव्यक्त विरोधाभास नहीं है। अधिनियम की धारा 102 की उक्त उपधारा (1-ए) के संबंध में डिवीजन बेंच, जो अधिनियम की धारा 102 की पुरानी उपधारा (1) के बराबर है, दिए गए सुसंगत निर्णयों के अनुरूप है इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 102 की पुरानी उप-धारा (1) की व्याख्या करते हुए, जिसे गुरुचरण सिंह के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। डिवीजन बेंच की टिप्पणियों और उसके निष्कर्ष के लिए दिए गए कारणों पर ध्यान देकर इसे सबसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले, आइए संदर्भ की सुविधा के लिए, क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दें। पुरानी धारा 102(1) निम्नलिखित शब्दों में है:-

> "102(1) उपायुक्त जांच के दौरान किसी भी कारण से, जिसके लिए उसे हटाया जा सकता है, एक पंच को निलंबित कर सकता है और उस अवधि और आदेश के दौरान उक्त निकाय के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से रोक सकता है। वह उक्त निकाय के रिकॉर्ड, धन या किसी भी संपत्ति को इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा।
>
> * * * * *
>
> * * * * *

अधिनियम की संशोधित धाराएँ 102(1) और (1-ए) निम्नलिखित शब्दों में हैं:

> "102(1) निदेशक किसी भी पंच को निलंबित कर सकता है जहां उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला जांच, पूछताछ या परीक्षण के अधीन है, यदि निदेशक की राय में, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही की संभावना है उसे

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करना पड़े या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र दोष शामिल हो।

(1-ए) निदेशक या उपायुक्त किसी जांच के दौरान किसी पंच को उन कारणों से निलंबित कर सकते हैं जिनके लिए उसे हटाया जा सकता है।

* * * * *

* * * * *

सुरेश चंद और अन्य (सुप्रा) के मामले में, याचिका में दावा किया गया था कि याचिका के मद्देनजर डिवीजन बेंच ने अधिनियम की संशोधित धारा 102 (1) के तहत निलंबन का आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की प्रासंगिकता पर विचार किया। अधिनियम की धारा 100(2) के तहत उपलब्ध उक्त प्रावधान के तहत पारित आदेश के खिलाफ वैकल्पिक उपाय के आधार पर रोक लगाई जाएगी। अधिनियम की धारा 100(2) सरकार को ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्यकारी आदेश के रिकॉर्ड को मांगने और जांचने की शक्ति प्रदान करती है। सवाल यह उठा कि क्या अधिनियम की संशोधित धारा 102(1) के तहत पारित आदेश कार्यकारी आदेश की प्रकृति का था या नहीं। पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 102 की संशोधित उप-धारा (1-ए) के तहत पारित आदेश एक कार्यकारी आदेश होगा, जबकि अधिनियम की संशोधित धारा 102 (1) के तहत पारित आदेश एक अर्ध- होगा। न्यायिक आदेश और इसके तर्क को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं:

"धारा 100(2) केवल तभी लागू होगी जब आदेश कार्यकारी प्रकृति का हो। इसलिए, यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या कोई आदेश, जैसा कि इस मामले में लगाया गया है, कार्यकारी है या प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है। धारा 102(एल)(पुरानी) के तहत निलंबन धारा 102 (1-ए) के बराबर है धारा 102(1-ए) नई जोड़ी गई है। पहले, केवल एक प्रकार का निलंबन होता था जैसा कि धारा 102(एल)(पुराने) से स्पष्ट है और वह जांच के दौरान था। संशोधन के बाद, निलंबन अब दो प्रकार का है: एक, धारा 102(1) में प्रावधानित है जहां एक पंच को उसके खिलाफ आपराधिक अपराध के संबंध में जांच, पूछताछ या परीक्षण के तहत निलंबित किया जा सकता है, यदि आरोप लगाया गया है या कार्यवाही की गई है जिसके लिए गए मामलों से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने या नैतिक अधमता या चरित्र दोष शामिल होने की संभावना है, और दूसरा पूछताछ के दौरान है। धारा 102 (पुरानी) और धारा 102 (1-ए) की भाषा से यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान

निलंबन के लिए निलंबन से पहले पंच को नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है और यह विचार इस न्यायालय के कई निर्णयों में व्यक्त किया गया है। जिसका संदर्भ राजिंदर सिंह बनाम पंचायत निदेशक, पंजाब, चंडीगढ़, (सुप्रा) से लिया जा सकता है। रत्ती राम बनाम डिप्टी कमिश्नर, पटियाला (सुप्रा) और गुरदयाल सिंह बनाम पंजाब राज्य आदि (सुप्रा)। लेकिन धारा 102(एल)(नया) के तहत निलंबन के मामले में स्थिति यह नही है। जब किसी पंच के खिलाफ आपराधिक अपराध की जांच, पूछताछ या मुकदमे की लंबितता के बारे में निदेशक के ध्यान में कोई जानकारी लाई जाती है। आदेश उस प्राधिकारी से स्वचालित रूप से प्रवाहित नहीं होना है। उसे अपने दिमाग को आरोप की प्रकृति और आरोप पर लगाना है और फिर खुद को संतुष्ट करना है कि क्या यह उस प्रकार का है, जो पंच के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में उस आरोप के आरोपी व्यक्ति को शर्मिंदा कर सकता है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल हो सकता है। जांच, पूछताछ या मुकदमे के तहत आने वाले आपराधिक अपराधों में पंच को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदगी नहीं हो सकती है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए, 323, 326, आदि के तहत आरोप लें। इनसे किसी भी पंच को कोई समस्या नहीं होगी जैसा कि धारा 102(1) में बताया गया है। ये संपूर्ण नहीं हैं और केवल चित्रण के उद्देश्य से दिए गए हैं। नैतिक अधमता से जुड़ा कोई अपराध संभवतः प्रत्येक मामले में धारा 102(1) (नई) में परिकल्पित प्रकृति की शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, लेकिन शर्मिंदगी पैदा करने वाले सभी अपराधों में नैतिक अधमता शामिल नहीं हो सकती है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी को उसके सामने रखी गई सामग्री का गंभीरता से विश्लेषण करना होगा और धारा 102(1) के सभी तीन अवयवों पर अलग से विचार करना होगा। निदेशक को खुद को संतुष्ट करना होगा कि प्रथम दृष्टया ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिसके लिए निलंबन की कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है या उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वह इस निष्कर्ष पर तभी पहुँच सकता है जब वह अपने चेतन मन का प्रयोग करे और वस्तुगत रूप से संतुष्ट हो। यदि इस तरह के दिमाग लगाने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पंच के निलंबन के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, तो वह उसे निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, यदि उसकी वस्तुगत संतुष्टि इस आशय की है कि जांच, पूछताछ या परीक्षण के तहत अपराध की प्रकृति उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करने वाली है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है, तो शब्द 'हो सकता है' धारा 102(एल)(नए) में 'करेगा' का बाध्यकारी बल है और उसके पास उस व्यक्ति को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। निदेशक

चीजों को सीखने या किसी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर स्वत: कार्रवाई कर सकता है। कुछ मामलों में, प्रदान की गई जानकारी स्व-निहित हो सकती है और इसके आधार पर निदेशक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ऐसे मामले सामने नहीं आ सकते जब जानकारी अधूरी हो और निदेशक को मामले की आगे की जांच की आवश्यकता महसूस हो, जिसके लिए उसे शिकायतकर्ता की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उस स्थिति में, उसे सूचना देने वाले व्यक्ति की बात सुननी होगी। इसमें निलंबन का आदेश पारित करने से पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की परिकल्पना की गई है। मन का ऐसा प्रयोग कार्यकारी आदेश का गुण नहीं है। दिमाग का ऐसा प्रयोग, जो धारा 102(1)(नया) की आवश्यकता है, धारा 102(1-ए) या धारा 102(एल)(पुराना) द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ऊपर चर्चा किए गए तरीके से दिमाग लगाकर धारा 102(1)(नई) के तहत निलंबन के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, निदेशक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा और कारण बताने के लिए नोटिस देना होगा। वह व्यक्ति, जो निलंबन के ऐसे आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। यदि उसे अवसर दिया जाए, तो वह निर्देश को संतुष्ट कर सकता है कि आरोप या आपराधिक अपराध, जो कि जांच, पूछताछ या परीक्षण का विषय है, वह न तो नैतिक अधमता या चरित्र का दोष है और न ही किसी भी तरह से उसे एक पंच के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन शर्मिंदा करने की संभावना है। धारा 102 (एल) (नई) का बारीकी से अध्ययन करने से इस प्रावधान को लागू करने में विधायिका की मंशा का भी पता चलता है। जहां तक निलंबन का सवाल है, यह पुरानी धारा 102 (1) में मौजूद था। यदि, इस तरह के दिमाग के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, तो संशोधन के बाद धारा 102(1) को इस भाषा में अधिनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संशोधन के पीछे एक उद्देश्य है, जो मामलों में निलंबन है, जहां कोई जांच नहीं है, स्वचालित या यांत्रिक नहीं होनी चाहिए। निदेशक को अपना दिमाग लगाना चाहिए और आरोप का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। जब यह स्थिति है, तो अनुभाग के तहत कार्य करने वाले निदेशक के आदेश की प्रकृति 102(1)(नया) और किसी पंच के निलंबन के पक्ष में निर्णय, ऐसी वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के बाद, केवल कार्यकारी नहीं रह जाता, बल्कि अर्ध-न्यायिक हो जाता है। क़ानून की भाषा निदेशक को इस विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कहती है, जो कि धारा 102(1-ए) के रूप में पुनः अधिनियमित पुराने प्रावधान से काफी अलग है..."

6. पुरानी धारा 102(1) और संशोधित धारा 102(1) के दो पूर्वोक्त प्रावधानों या उस मामले के लिए अधिनियम की संशोधित धारा 102(1-ए) के बीच किसी भी भौतिक अंतर के संबंध में प्रस्तावक के रूप में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मामले में आदेश अर्धन्यायिक होगा, जिसमें संबंधित प्राधिकारी

को उसके निलंबन का आदेश देने से पहले संबंधित पंच या सरपंच को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता होगी और दूसरे मामले में आदेश को कार्यकारी आदेश के रूप में माना जाएगा और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बताई जाएगी। संबंधित पंच या सरपंच को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, यह देखा जा सकता है कि पूर्व मामले में निलंबन का आदेश लगभग सजा के रूप में होगा, क्योंकि उस स्तर पर जब उसे निलंबित करने की मांग की जाती है तो उसे हटाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। वहां केवल किसी मामले का पंजीकरण या शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए आपराधिक आरोपों की जांच या मुकदमा चलाया जाता है। किसी पंच या सरपंच को हटाने पर विचार तब किया जाता है, जब अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) के खंड (बी) और (सी) में परिकल्पित प्रकार के उसके अपराध के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराने वाला वास्तविक आदेश पारित किया जाता है। किसी पंच या सरपंच के खिलाफ आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के मद्देनजर, उसे हटाने के उद्देश्य से उसके खिलाफ जांच कार्यवाही शुरू की जाती है और फिर संशोधित अधिनियम की धारा 102 उप-धारा (1-ए) के तहत निलंबन का आदेश पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में, पंच या सरपंच को निलंबित करने का आदेश एक नियमित आदेश होगा जो सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा पहले ही स्थापित अपराध पाया गया हो। ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां किसी पंच या सरपंच को उसके खिलाफ मामला दर्ज होने की दहलीज पर निलंबित करने की मांग की जाए। वहां, आदेश नियमित नहीं होगा, क्योंकि उस मामले में, सबसे पहले, यह संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि क्या शिकायत में बताए गए तथ्य उस अपराध का गठन करते हैं जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और, दूसरा, क्या अपराध वह है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है या संबंधित पंच या सरपंच के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है या उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या आपराधिक कार्यवाही से उसे पंच या सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना होगी। इस तरह के मामले में, उसे अपना दिमाग लगाना होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई न कोई वस्तुनिष्ठ कारण बताना होगा कि पंच या सरपंच के खिलाफ निलंबन का आदेश आवश्यक है।

7. इसलिए, हम सुरेश चंद और अन्य मामला (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए विचार को मंजूरी देते हैं और यह मानता है कि अधिनियम की संशोधित धारा 102(1) के तहत किसी पंच या सरपंच के खिलाफ निलंबन का आदेश पारित करने से पहले, उक्त पंच या सरपंच को सुनवाई या नोटिस का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम 1979 के इन दो रिट याचिकाकर्ताओं संख्या 94 और 422 को अनुमति देते हैं।

8. फैसले से अलग होने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि तथ्यों पर दो आक्षेपित आदेशों का अवलोकन उस अधिकारी की ओर से दिमाग के इस्तेमाल का सुझाव देता है जिसने इसे पारित किया था। 1979 की सिविल रिट संख्या 94 में आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट पी. 4, इन शब्दों में है: -

> "श्री कश्मीरी लाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, बुटाना कुंडू, ब्लॉक मुंडलाना के खिलाफ शिकायत की जांच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मुंडलाना के माध्यम से कराई गई थी। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 2159, दिनांक 21 नवंबर, 1978 के तहत अपनी रिपोर्ट भेजी है और उसी के अवलोकन पर यह पाया गया है कि सरपंच श्री कश्मीरी लाई ने गांव बुटाना की एक बाल्मीकि महिला के साथ छेड़छाड़ की है और उसके खिलाफ जिस पर बड़ौदा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, - एफ.आई.आर. क्रमांक 74 दिनांक 6 अक्टूबर 1978 धारा 354/506 आई.पी.सी. जिसमें उसे (सरपंच) आरोपी बताया गया है और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार श्री कश्मीरी लाल सरपंच, ग्राम पंचायत बुटाना कुंडू ने अपने पद को बदनाम किया है तथा स्वयं को चरित्रहीन साबित किया है।
>
> जैसा कि श्री कश्मीरी लाल ग्राम पंचायत, बुटाना कुंडू के सरपंच हैं। इसलिए, मैं विष्णु भगवान, आई.ए.एस., उपायुक्त, सोनीपत, श्री कश्मीरी लाई सरपंच, ग्राम पंचायत, बुटाना कुंडू को जांच के दौरान ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 (1) के तहत निलंबित करता हूं और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से रोकता हूं। पंचायत की कार्यवाही और आदेश दिया जाए कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, नकदी और अन्य संपत्ति जो श्री कश्मीरी लाई सरपंच के पास है, उसे तुरंत सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी, मुंडलाना को दिया जाए।"

1979 की सिविल रिट संख्या 422 में आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी. 1, इस प्रकार है: -

> ''खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खोल द्वारा इसकी सूचना दी गई है कि धारा 353/186/332/382 और 34 आई.पी.सी. और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135/136 के तहतके तहत मामला दर्ज किया गया है। जसवन्त सिंह सरपंच, पीथरावास ब्लॉक, खोल के विरुद्ध दर्ज - एफ.आई.आर. क्रमांक 62, दिनांक 24 जुलाई 1978, जो न्यायालय में विचाराधीन है।
>
> उपरोक्त परिस्थितियों में, जसवन्त सिंह का सरपंच पद पर बने रहना जनहित में नहीं है।

मैं, बी.डी. ढल्लिया, आईएएस, उपायुक्त, मोहिंदरगढ़, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जसवन्त सिंह सरपंच को सरपंच, ग्राम पंचायत पीथरावास के पद से निलंबित करता हूं और इसके द्वारा आदेश देता हूं कि श्री जसंवत सिंह (निलंबित) निलंबन के दौरान को ग्राम पंचायत की कार्यवाही और बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।"

इन आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि एक मामले में (1979 की सिविल रिट संख्या 94 में) आदेश 'जांच के दौरान' अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 102(1) के तहत पारित किया गया है, जबकि वास्तव में, इसके तहत कोई आदेश नहीं है। अधिनियम की धारा 102(1) को 'जांच के दौरान' पारित किया जा सकता है, क्योंकि जांच के दौरान जो आदेश पारित किया जाना है वह अधिनियम की धारा 102(1-ए) के तहत एक है। धारा 102(1) के तहत निलंबन का आदेश किसी आपराधिक मामले के दर्ज होने या किसी आपराधिक मामले में जांच या मुकदमे के लंबित होने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर पारित किया जाना चाहिए, न कि तब जब किसी पंच या सरपंच के खिलाफ उसे हटाने के लिए जांच पर विचार किया जा रहा हो, जिस पर केवल तभी विचार किया जाता है जब पंच या सरपंच को इस तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराने का आदेश किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका हो।

(8) दूसरे मामले में (1979 की सिविल रिट संख्या 422 में), आदेश संबंधित अधिकारी की संतुष्टि पर पारित किया जाता है, कि यह 'सार्वजनिक हित में' है। अधिनियम की धारा 102(1) 'सार्वजनिक हित में' पंच या सरपंच को निलंबित करने के आदेश को पारित करने की गारंटी नहीं देती है। ऐसा आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब पंच या सरपंच के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो या मुकदमा लंबित हो, जिसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल हो या पंच या सरपंच को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए शर्मिंदगी का कारण बनने की संभावना हो।

9. हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन,-मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति हरबंस लाइ,-मैं सहमत हूं।

एन.के.एस

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी